मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
59, नर्मदा भवन, सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र. 1617 /NREGS-MP/ Tech./2008 **भोपाल, दिनांक 18/03/2008**

प्रति,

1. **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
   जिला – ..... (समस्त),
   मध्यप्रदेश
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
   जिला पंचायत – ..... (समस्त),
   मध्यप्रदेश
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी,**
   जनपद पंचायत – ..... (समस्त),
   जिला ..... (समस्त),
   मध्यप्रदेश

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत मत्स्य पालन विकास हेतु उपयोजना ''मीनाक्षी'' के क्रियान्वयन के संबंध में।

———000———

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत संचालित उपयोजना ''कपिलधारा'' के तहत लक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे, भूमि सुधार एवं इन्दिरा आवास योजना के हितग्राही) के हितग्राहियों की निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा के लिए निर्मित तालाबों में सिंचाई सुविधा एवं निस्तार के साथ–साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुदृणीकरण का कार्य मत्स्य पालन द्वारा किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में योजना ''मीनाक्षी'' लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किये जा रहे है।

2. उद्देश्यः–

देश की बढ़ती आबादी के कारण बेरोजगारी की समस्या तथा पौष्टिक आहार की कमी को देखते हुए, मत्स्य पालन व्यवसाय से जहां एक ओर रोजगार के अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होगें, वहीं दूसरी ओर कम श्रम तथा कम लागत से भरपूर प्रोटीनयुक्त भोज्य पदार्थ मिलेगा, साथ ही मत्स्य पालक हितग्राहियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

3. कार्यक्षेत्र

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश अन्तर्गत् सभी जिलों के सभी ग्राम प्रस्तावित योजना मीनाक्षी के कार्यक्षेत्र होंगे।

4. पात्र हितग्राही

4.1– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची–1 की संशोधित कंडिका 1 (iv) (ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06 मार्च 2007) में निम्न वर्ग के हितग्राहियों की स्वामित्त वाली कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है :–

1– अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परिवार
2– गरीबीरेखा के नीचे के परिवार
3– भूमि सुधार (Land reform) के हितग्राही
4– इन्दिरा आवास के हितग्राही

उपरोक्तानुसार कपिलधारा उपयोजना के लक्षित वर्ग के हितग्राही योजना ''मीनाक्षी'' के तहत तालाब निर्माण/मत्स्य बीज नर्सरी निर्माण हेतु पात्र होंगे।

4.2– योजना ''मीनाक्षी'' के क्रियान्वयन हेतु केवल उपरोक्त वर्गों के ऐसे हितग्राही, जिनकी स्वामित्व वाली भूमि (कृषि भूमि या तालाब/नर्सरी निर्माण योग्य पड़त भूमि) की जोत ग्राम में एक ही जगह पर परिवार के मुखिया के नाम पर या संयुक्त खाते के रूप में कम से कम 1 हैक्टेयर भूमि हो, ऐसे हितग्राही/हितग्राही परिवार, योजना के लिए पात्र होंगे।

5. प्रस्तावित कार्य :–

योजना मीनाक्षी के तहत निम्नानुसार कार्य लिये जा सकेंगेः–

1. लघु तालाब (0.5 से 1 हेक्टेयर) का निर्माण कर मत्स्य पालन।
2. छोटे–छोटे तालाब (नर्सरी) – 0.100 से 0.200 हेक्टेयर, का निर्माण कर मत्स्य बीज उत्पादन।

6. आयोजना व क्रियान्वयन

6.1 सहयोग दलों की नियुक्ति

- पूर्व में कपिलधारा, नन्दन फलोद्यान एवं भूमि शिल्प उपयोजना के तहत्, प्रत्येक 5 से 10 ग्राम पंचायतों के समूह पर एक सहयोग दल (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी–दल प्रमुख, उपयंत्री एवं पटवारी), कलेक्टर द्वारा नियुक्त करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। उक्तानुसार गठित सहयोगी दल योजना ''मीनाक्षी'' अन्तर्गत् भी, सफल मत्स्य पालन हेतु "तालाब निर्माण" तथा उच्च उत्तरजीविता सहित मत्स्य बीज उत्पादन के लिये नर्सरी निर्माण हेतु विभिन्न तकनीकी बिन्दुओं जैसे स्थल का चयन, भूमि की गुणवत्ता, स्थल का कैचमेन्ट, पानी भरने का साधन इत्यादि घटकों का निर्धारण तथा हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- विकासखण्ड स्तर पर सहायक मत्स्य अधिकारी या मत्स्य निरीक्षक तकनीकी मार्गदर्शन एवं योजना के प्रस्ताव के तकनीकी अनुमोदन हेतु जिम्मेदार होंगे। जिला कलेक्टर, सहायक मत्स्य अधिकारी/मत्स्य निरीक्षक के विकासखण्डवार तकनीकी अनुमोदन हेतु नियुक्ति आदेश जारी करेंगे, जिसकी प्रतिलिपि सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जावेगी।

6.2 पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करना

ग्राम पंचायतें रोजगार की मांग हेतु आवेदन प्राप्त करते समय पैरा 4.1 एवं 4.2 में उल्लेखित पात्र हितग्राहियों को योजना मीनाक्षी के प्रावधानों के संबंध में अवगत करावेगी। तदुपरान्त ग्राम पंचायतें ऐसे पात्र हितग्राहियों से रोजगार की मांग के आवेदन के साथ–साथ, योजना ''मीनाक्षी'' हेतु संलग्न अनुलग्नक–1 में दर्शाए गए प्रपत्र पर आवेदन भी प्राप्त करेगी। आवेदन में प्रस्तावित स्थल का विवरण, क्षेत्रफल, पानी भरने का साधन, मत्स्य पालन/मत्स्यबीज उत्पादन की पद्धिति इत्यादि का विवरण दिया जावेगा।

6.3 हितग्राहियों का चयन

6.3.1 ग्राम पंचायतों द्वारा हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जावेगा। ग्राम सभा द्वारा मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण बाबत् इच्छुक हितग्राही जिनके प्रस्तावित निर्माण स्थल के समीप पानी भरने की वैकल्पिक व्यवस्था (जैसे नहर, नदी या नाला, टयूबवेल, बड़े तालाब या बांध के नीचे की दलदली जमीन) हो उन्हें प्रथम प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जावेगा। द्वितीय क्रम में वर्षा आधारित अच्छे कैचमेन्ट एरिया वाले स्थल के हितग्राहियों को चयनित किया जावेगा।

6.3.2 मत्स्य बीज उत्पादन हेतु नर्सरी निर्माण बाबत् इच्छुक हितग्राही जिनके प्रस्तावित निर्माण स्थल के समीप पानी भरने की वैकल्पिक व्यवस्था जैसे नहर, नदी या नाला, टयूबवेल, बड़े कुए, बड़े तालाब या बांध के नीचे का स्थल या अन्य साधन, उपलब्ध हो केवल उन्हें ही चयनित किया जावे ताकि आवश्यकता पडने पर मत्स्यबीज उत्पादन अवधि (माह जुलाई से माह सितम्बर तक) पर्याप्त पानी प्राप्त हो सके।

6.3.3 ऐसे चयनित हितग्राही/हितग्राही परिवार को पैरा 5 में दर्शित कार्यों में से केवल एक गतिविधि के अन्तर्गत चयनित कर लाभान्वित किया जावेगा।

6.3.4 ग्राम पंचायतें योजना ''मीनाक्षी'' हेतु ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित तथा चयनित हितग्राहियों की योजनावार (मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण/मत्स्य बीज उत्पादन हेतु नर्सरी निर्माण का कार्य) पृथक–पृथक सूची प्राथमिकता क्रम तैयार कर अपने पास रखेंगी। इस सूची में एकल गतिविधि के स्वरूप में मत्स्य पालन या मत्स्य बीज उत्पादन की गतिविधि लेने वाले हितग्राहियों का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा।

6.4 आयोजना के विभिन्न घटकों का निर्धारण व आंकलन –

ग्राम पंचायत द्वारा "योजना–मीनाक्षी" के तहत् चयनित हितग्राहियों से प्राप्त प्रस्तावों को उनकी पंचायतों के लिये नियुक्त सहयोग दल के दल प्रमुख को प्रेषित करेंगी। सहयोग दल द्वारा क्षेत्र का भ्रमण एवं प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर "योजना–मीनाक्षी" के विभिन्न घटकों का निम्नानुसार निर्धारण किया जावेगा :–

6.4.1 स्थल का निर्धारण

मत्स्य पालन के लिये तालाब निर्माण तथा मत्स्यबीज उत्पादन हेतु नर्सरी के निर्माण बाबत् स्थल चयन के समय निम्न तथ्यों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है :–

- तालाब/नर्सरी में पानी की आवक का स्त्रोत अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।
- प्रस्तावित स्थल का केचमेंन्ट एरिया इतना हो कि वर्षा में तालाब/नर्सरी पूर्ण (एफ.टी.एल. तक) भर सके।
- तालाब/नर्सरी निर्माण हेतु भूमि उपयुक्त हो, जिसमें क्ले का प्रतिशत एवं जलधारण क्षमता, 40 प्रतिशत से अधिक हो।
- मुरम या पथरीली, पड़त भूमि का चयन कदापि नहीं किया जावे।
- तालाब निर्माण हेतु स्थल के समीप नहर, नदी या नाला, टयूबवेल, दलदली जमीन, बडे तालाब या बांध या अन्य प्राकृतिक साधन हो, जिससे आवश्यकता पड़ने पर पानी की पूर्ति की जा सके, को प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जावे।
- मत्स्य बीज उत्पादन हेतु नर्सरी निर्माण स्थल के समीप पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था जैसे नहर, नदी या नाला, ट्यूबवेल, बड़े तालाब या बांध या अन्य प्राकृतिक साधन का होना अपरिहार्य है।
- सहयोगी दल, हितग्राही परिवार की सहमति से हितग्राहीवार प्रस्तावित भूमि/स्थल तथा क्षेत्रफल जिसमें तालाब/नर्सरी निर्माण किया जावेगा का निर्धारण करेंगे। किसी भी स्थिति

में आधे हैक्टेयर से कम भूमि में तालाब/नर्सरी निर्माण नहीं किया जावे, यह सुनिश्चित करेंगे। आधे हेक्टेयर भूमि में 2 – 3 नर्सरियेां का निर्माण किया जावे।

- सहयोग दल में सम्मिलित पटवारी भूमि के स्वामित्व, भूमि की उपलब्धता तथा वर्तमान भूमि के उपयोग का सत्यापन करेंगे।

6.4.2 मत्स्य पालन पद्धति का निर्धारण

- योजना अन्तर्गत् मत्स्यबीज उत्पादन हेतु निर्मित होने वाले तालाब में मत्स्य पालन का कार्य अर्धगहन विधि द्वारा किया जावेगा जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक खाद के साथ–साथ परिपूरक आहार का उपयोग भी किया जावेगा।
- योजना अन्तर्गत् मत्स्य बीज उत्पादन हेतु निर्मित होने वाली नर्सरी में मत्स्यबीज उत्पादन का कार्य वर्तमान में प्रचलित फेज मैन्यूरिंग विधि द्वारा किया जावेगा।
- सहयोग दल द्वारा पद्धति के निर्धारण के समय योजना के संबंध में विस्तृत समझाईश/मार्गदर्शन दिया जावेगा।

6.4.3 प्रजातियों का निर्धारण

- योजना मीनाक्षी के तहत् निर्मित तालाबों में मत्स्य पालन हेतु भारतीय प्रमुख सफर (Indian Major Carp) कतला, रोहू, मृगल प्रजातियों का पालन किया जावेगा।
- योजना के तहत् निर्मित नर्सरियों में मत्स्यबीज उत्पादन अन्तर्गत् भारतीय प्रमुख सफर (Indian Major Carp) कतला का शुद्ध तथा कतला, रोहू, मृगल का मिश्रित मत्स्यबीज का उत्पादन किया जावेगा।

6.4.4 प्रजातियों की संख्या का आंकलन एवं निर्धारण

- योजना के तहत मत्स्य पालन हेतु उपयोग में ली जाने वाली मछलियां कतला, रोहू, मृगल का संचयन प्रतिशत क्रमशः 40:30:30 संचयन दर 15000 फ्राई प्रति हैक्टेयर होगी।
- मत्स्यबीज उत्पादन के अन्तर्गत शुद्ध कतला या कतला, रोहू, मृगल के मिश्रित मत्स्यबीज का उत्पादन किया जावेगा जिसका संचयन दर 60 लाख स्पान प्रति हैक्टेयर तथा उत्तरजीविता कम से कम 40 प्रतिशत प्राप्त की जावेगी।
- प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल तथा अनुमानित जलक्षेत्र के आधार पर मत्स्य पालन हेतु मत्स्य बीज तथा मत्स्य बीज उत्पादन हेतु स्पान की गणना, सहयोग दल में सम्मिलित तकनीकी अधिकारी द्वारा की जाकर, हितग्राही को अवगत कराई जावेगी।
- सहयोग दल हितग्राही के परामर्श से पैरा 6.4.2 अनुसार पद्धति का निर्धारण करते हुए प्रजातिवार संख्या का निर्धारण करेंगे।

6.4.5 जलभरण क्षमता का आंकलन

- मत्स्य पालन/मत्स्यबीज उत्पादन हेतु प्रस्तावित निर्माण स्थल का कैचमेन्ट एरिया इतना हो कि, तालाब/नर्सरी में एफ.टी.एल. तक पानी भर सके, का आंकलन।
- प्रस्तावित स्थल के समीप नहर, नदी या नाला, टयूबवेल, दलदली जमीन, बडे तालाब या बांध या अन्य साधन जिससे आवश्यकता पड़ने पर पानी प्राप्त करने संबंधी आंकलन।
- मत्स्यबीज उत्पादन हेतु नर्सरी में मत्स्यबीज उत्पादन अवधि माह जुलाई से माह सितम्बर तक पानी की आवश्यकता पड़ने पर पानी की प्रतिपूर्ति कैसे की जावेगी, संबंधी आंकलन।
- सहयोग दल तत्संबंधी आंकलन एवं अनुशंसा ग्राम पंचायत को प्रेषित करेंगे।

6.4.6 आवश्यक प्रावधान तथा प्राक्कलन में इसका समावेश

- मत्स्य पालन हेतु निर्मित तालाब बारहमासी हो यह सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु तालाब की मिट्टी की खुदाई कम से कम डेढ से दो मीटर तक की जावे।

- तालाब में यथा आवश्यक लम्बाई तथा चौडाई में काली मिट्टी की पड्लिंग की जावे।
- तालाब के इनलेट एवं आउटलेट पक्के तथा जालीदार बनाये जावें ताकि आवांछित मछलियां अन्दर न आ सकें तथा संचित मत्स्यबीज बाहर न निकल सके।
- मत्स्यबीज उत्पादन हेतु निर्मित नर्सरी की गहराई 1.20 मीटर होनी चाहिये।
- नर्सरी का आकार संभवतया आयताकार (लंबाई अधिक एवं चौड़ाई कम) रखा जावें।
- मत्स्यबीज उत्पादन की नर्सरी में वर्षा का पानी एकबार भरने के पश्चात् नर्सरी में कैचमेन्ट एरिया से नियंत्रित पानी का प्रवेश हो यह सुनिश्चित करने के लिए, इनलेट सहित यथा आवश्यक निर्माण का समावेश किया जाना चाहिये ताकि आवश्यकता से अधिक पानी के प्रवेश को रोक कर अन्यत्र दिशा में मोड़ दिया जावे।
- नर्सरी से अतिरिक्त पानी निकालने हेतु जालीदार आउटलेट की व्यवस्था का समावेश किया जावे।

  अतः हितग्राहीवार प्लान प्राक्कलन तैयार करते समय उपरोक्तानुसार प्रावधानों को ध्यान में रखकर मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण या मत्स्यबीज उत्पादन हेतु नर्सरी निर्माण में लागत का यथोचित समावेश किया जावेगा।

7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना

7.1 योजना मीनाक्षी हेतु पैरा 6.4.1 से 6.4.6 में उल्लेखित विभिन्न घटकों के परीक्षण एवं निर्धारण उपरान्त सहयोग दल हितग्राहीवार अनुलग्नक – 2 में दर्शाए गए प्रपत्र में अपनी अनुशंसा तैयार करेंगे। इस अनुशंसा के आधार पर सहयोग दल में सम्मिलित उपयंत्री, प्राक्कलन तैयार करते समय पैरा क्रमांक 6.4.6 में दर्शित निर्देशों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे तथा अनुलग्नक क्र. 03 में अनुशंसा पत्रक तैयार करेंगे एवं संलग्न प्रादर्श प्लान प्राक्कलन (अनुलग्नक क्र 8, 9, 10, 11 एवं 12) अनुसार हितग्राहीवार विस्तृत प्लान प्राक्कलन तैयार किया जावेगा। ये प्रादर्श प्लान प्राक्कलन पूर्णतः सांकेतिक एवं मार्गदर्शी है। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इन प्रादर्श प्लान प्राक्कलन में दर्शाये गये व्यय अनुमानों में परिवर्तन कर योजना मीनाक्षी हेतु प्राक्लन तैयार किये जावेंगे। इस प्रकार हितग्राही का आवेदन (अनुलग्नक 01 में), सहयोग दल की अनुशंसा (अनुलग्नक 02 में), उपयंत्री की अनुशंसा (अनुलग्नक 03 में) व उपयंत्री द्वारा तैयार प्लान प्राक्कलन को एकजाई कर प्रत्येक हितग्राहीवार प्रोजेक्ट रिपोर्ट पृथक – पृथक तैयार की जावेगी। तैयार प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चयनित भूमि व क्षेत्रफल का विवरण, मत्स्य पालन की पद्धति तथा प्रजाति का निर्धारण मत्स्य पालन / मत्स्य बीज उत्पादन के तहत् विभिन्न अवयवों / मदों पर आने वाले व्यय की लागत का विवरण इत्यादि शामिल होगा।

7.2 विकासखण्ड स्तर पर नियुक्त मत्स्य पालन विभाग के सहायक मत्स्य अधिकारी या मत्स्य निरीक्षक सहयोग दल द्वारा निर्धारित घटकों एवं उपयंत्री द्वारा तैयार प्राक्कलन के आधार पर अनुलग्नक–4 में दर्शित बिन्दुओं के अनुसार, प्रस्ताव को मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से तकनीकी परीक्षण कर अनुमोदित करेंगे।

8. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन एवं स्वीकृतियां

8.1 सहयोग दल द्वारा हितग्राहीवार योजना ''मीनाक्षी'' हेतु तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्राम पंचायत को प्रेषित की जावेगी। ग्राम पंचायत अपनी बैठक में योजना ''मीनाक्षी'' के तहत प्राप्त सभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुमोदित करेगी, तत्पश्चात् इसका अनुमोदन जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा। त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थओं से अनुमोदित योजना ''मीनाक्षी'' की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ही सेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।

8.2 योजना ''मीनाक्षी'' के कार्यो की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश के तहत् समय–समय पर जारी निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुरूप जारी की जावेगी।

9. वित्तीय प्रावधान

9.1 ग्राम पंचायतें, योजना ''मीनाक्षी'' के तहत तालाब निर्माण/नर्सरी निर्माण संबंधी अधोसंरचना के विकास के कार्य, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के तहत समय–समय पर जारी निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुरूप करायेंगी।

9.2 मत्स्य पालन हेतु अनुलग्नक क्र. 5 में दर्शित इनपुट के क्रय की व्यवस्था हितग्राही स्वयं के वित्तीय संसाधनों से करेंगे। सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को इनपुट लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6,000/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को इनपुट लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 7,500/– का अनुदान, मत्स्य विभाग द्वारा देय होगा।

9.3 मत्स्य बीज उत्पादन हेतु अनुलग्नक क्र. 6 या अनुलग्नक क्र. 7 में दर्शित इनपुट के क्रय की व्यवस्था, हितग्राही स्वयं के वित्तीय संसाधनों से करेंगे। इस कार्य हेतु हितग्राहियों को स्वरोजगार (फिशरमेन) क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, बैंकों से साख (क्रेडिट) मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

9.4 पैरा 9.2 के अनुलग्नक क्र. 5 एवं पैरा 9.3 के अनुलग्नक क्र. 6 या अनुलग्नक क्र. 7 के तहत, जो हितग्राही/हितग्राही परिवार लाभान्वित नहीं हो सकेंगे, उन्हें डी.पी.आई.पी./एम. पी.आर.एल.पी./एस.जी.एस.वाय./आर.के.व्ही.वाय./एन.एफ.डी.बी./आई.टी.डी.पी. योजनाओं से नियमानुसार अनुदान प्रदाय किया जावेगा।

10. क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता

10.1 योजना मीनाक्षी के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के क्रियान्वयन की प्राथमिकता, ग्राम पंचायत निर्धारित कर सकेगी तथा संबंधित हितग्राही के नाम कार्यों का संक्षिप्त विवरण (क्षेत्रफल, लागत तथा पद्धति आदि) अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी।

10.2 क्रियान्वयन ऐजेन्सी – योजना ''मीनाक्षी'' के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार, अनुमोदित एवं प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यो का क्रियान्वयन, ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग दल द्वारा अनुशंसित स्थल पर किया जावेगा। कार्यो का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारन्टी परिषद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3136/22/वि–7/एम.पी.आर.ई.जी.एस./2007 दिनांक 20–02–07 के अनुसार स्व सहायता समूह के माध्यम से भी ग्राम पंचायतों के पर्यवेक्षण में किये जा सकते हैं परन्तु ऐसे स्व सहायता समूह को ''प्रथम ग्रेड'' में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

10.3 ग्राम पंचायतें तथा सहयोग दल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यो का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जावे तथा तकनीकी रूप से गुणवत्ता पूर्ण हो। कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्थिति में समझौता न किया जावे। अधूरे कार्यो को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जावे।

10.4 योजना ''मीनाक्षी'' अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, निगरानी, मूल्यांकन, कार्यो की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों का संधारण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना मध्य प्रदेश के तहत समय–समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे। हितग्राही भी उसके लिये क्रियान्वित किये जा रहे कार्यो की निगरानी कर सकेंगे।

10.5 कार्यो के पूर्ण होने पर हितग्राही से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जावेगा जिस पर सरपंच तथा सहयोग दल के प्रमुख कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेंगे। तदोपरान्त यह

पूर्णता प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में संधारित करेगी। कार्य स्थल पर भूमि स्वामी, हितग्राही का नाम तथा कार्यो का संक्षिप्त विवरण अंकित करते हुए एक सूचना फलक लगाया जावेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अपने भवन के सहगोचर स्थल पर योजना ''मीनाक्षी'' के लाभान्वित हितग्राहियों के नाम तथा कार्यो का संक्षिप्त विवरण, कार्य पर होने वाली व्यय राशि तथा कार्य के पूर्ण होने का दिनांक, पेन्ट से अंकित करेंगी।

10.6 योजना ''मीनाक्षी'' के अन्तर्गत् मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण/मत्स्यबीज उत्पादन हेतु नर्सरी निर्माण का विवरण पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में भी अनिवार्यतः दर्ज किया जावेगा।

11. ऐक्जिट प्रोटोकॉल

विभाग के आदेश क्र. 3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22/06/2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों का एक्जिट प्रोटोकॉल तैयार किये जाने बावत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशों के अनुरूप योजना ''मीनाक्षी'' के कार्यो के ऐक्जिट प्रोटोकॉल अनिवार्यतः संधारित किये जावेगें।

12. प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन

12.1 उपयोजना ''मीनाक्षी'' के हितग्राहियों को मत्स्य पालन या मत्स्यबीज उत्पादन के संबंध में विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रथम चरण में हितग्राहियों के चयन पश्चात् तथा द्वितीय चरण में मत्स्य पालन प्रारंभ करने के दौरान व्यवहारिक प्रशिक्षण, दिया जावेगा। प्रशिक्षण का आयोजन कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत) द्वारा मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी के समन्वय से किया जावेगा।

12.2 गतिविधि आरंभ होने के पश्चात, समय–समय पर हितग्राही को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता, सहयोग दल द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

12.3 कलेक्टर, मत्स्य विभाग के जिला अधिकारी के माध्यम से, योजना ''मीनाक्षी'' के तहत उत्पादित मछली एवं मत्स्य बीज के शत्–प्रतिशत विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

13. मानिटरिंग व रिर्पोटिंग

13.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में उपयोजना ''मीनाक्षी'' के कार्यो की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनीटरिंग करेंगे।

13.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी योजना मीनाक्षी के कम से कम 20 प्रतिशत कार्यो की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनीटरिंग की जावेगी।

13.3 जिला क्वालिटी मानीटर्स द्वारा योजना मीनाक्षी के कार्यो की शतप्रतिशत मॉनीटरिंग की जावेगी।

13.4 योजना मीनाक्षी के कार्यो की प्रगति की जानकारी अनुलग्नक–13 में दर्शाये गये प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सचिव/परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को प्रेषित की जावेगी।

कृपया योजना ''मीनाक्षी'' की आयोजना एवं क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 1617 A /NREGS-MP/ Tech./2008 **भोपाल, दिनांक 18/03/2008**

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. संभागीय आयुक्त, (समस्त), संभाग .....
3. परियोजना समन्वयक, डी.पी.आई.पी., पर्यावरण परिसर, एप्को, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।
4. परियोजना समन्वयक, एम.पी.आर.एल.पी. अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. संचालक, मत्स्योद्योग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल, म.प्र.।
7. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, (मण्डल समस्त), मण्डल कार्यालय .....।
8. संयुक्त संचालक/उप संचालक, मत्स्य पालन विभाग, (समस्त संभाग) संभाग .....।
9. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग .....।
10. सहायक संचालक, मत्स्य पालन विभाग, (समस्त जिले), जिला .....।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल